

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-389/2013)/अलेसे-11/3235

दिनांक :- 01-05-2022

शुद्धि पत्र

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्र.नि.ब्यूरो/अ.शा./3/2024/3166-67 दिनांक 04.04.2024 द्वारा सूचित किया है कि श्री संदीप शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिन.नं. 10024) कार्यालय उपकोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द को रिश्वत प्राप्त करने के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2024 पंजीबद्ध कर दिनांक 31.03.2024 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की न्यायिक हिरासत अवधि 48 घण्टे से अधिक है।

राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री संदीप शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को गिरफ्तारी दिनांक 31.03.2024 से 48 घण्टे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण इनको दिनांक 31.03.2024 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा में रहेगा।

श्री संदीप शर्मा को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3164 दिनांक 22.04.2024 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

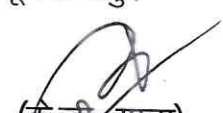

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-389/2013)/अलेसे-11/3235

दिनांक :- 01-05-2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी कोटा।
3. कोषाधिकारी राजसमन्द।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. उपकोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री संदीप शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय कोषालय कोटा।
9. गेपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/विधि एवं जॉच/मासिक सूचना हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


(क.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)